भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2654
गुरूवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

2654. श्री सुजीत कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित देश भर में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक पहल करने के बावजूद संगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार महिलाओं के लिए कार्य के सुविधाजनक घंटों को शुरू करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी पर अधिकारिक डेटा एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की ओडिशा सहित राज्य-वार अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अनुबंध में दी गई है।

इसके साथ-साथ, वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 28.7%, 31.4% और 31.7% था, जो दर्शाता है कि देश में महिलाओं का डब्ल्यूपीआर बढ़ रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आंकड़े, सामान्य क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कामगारों को कवर करता है। ईपीएफओ अंशदाताओं में शुद्ध वृद्धि, रोजगार सृजन/रोजगार बाजार की सामान्य स्थिति और संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। महिला ईपीएफ अंशदाता में निवल वृद्धि नवम्बर 2022 में 2.67 लाख की तुलना में दिसम्बर, 2022 के दौरान बढ़कर यह 2.89 लाख हो गई हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

******

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 23.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2654 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आयु समूहों के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफ़पीआर) (प्रतिशत में): 15 वर्ष और उससे अधिक

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	39.2	45.1	43.3
2	अरुणाचल प्रदेश	22.9	27.6	31.2
3	असम	16.4	24.6	28.2
4	बिहार	9.5	10.7	10.2
5	छत्तीसगढ	53.1	53.9	51.6
6	दिल्ली	16.1	13.8	12.2
7	गोवा	28.2	27.3	20.7
8	गुजरात	31.1	33.1	34.4
9	हरियाणा	15.7	19.1	19.1
10	हिमाचल प्रदेश	65.0	62.6	66.1
11	झारखंड	35.7	43.9	45.2
12	कर्नाटक	33.8	35.9	31.8
13	केरल	31.9	33.2	37.0
14	मध्य प्रदेश	37.7	40.5	41.0
15	महाराष्ट्र	38.7	36	38.4
16	मणिपुर	29.9	21.4	23.4
17	मेघालय	45.7	51.6	50.2
18	मिजोरम	37.0	41.7	34.7
19	नागालैंड	43.0	47.6	51.5
20	ओडिशा	33.1	33.2	32.9
21	पंजाब	23.7	23.1	24.0
22	राजस्थान	38.6	39.9	40.0
23	सिक्किम	59.4	61.1	57.8
24	तमिलनाडु	40.2	43	40.7
25	तेलंगाना	44.3	45.4	44.7
26	त्रिपुरा	24.2	30.8	26.7
27	उत्तराखंड	31.8	31.5	33.1
28	उत्तर प्रदेश	17.7	22.6	26.3
29	पश्चिम बंगाल	24.0	28.7	27.9
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35.9	46.1	45.7
31	चंडीगढ़	20.4	24.1	16.8
32	दादरा और नगर हवेली	52.3	30.6	43.0
33	दमन और दीव	35.8		
34	जम्मू और कश्मीर	37.4	43.4	44.9
35	लद्दाख	51.1	69.6	46.5
36	लक्षद्वीप	29.7	19.4	16.8
37	पुडुचेरी	31.6	29.3	35.7
	अखिल भारत	**30.0**	**32.5**	**32.8**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई